

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Established by an act of Rajasthan Legislative Assembly and Recognized by UGC, NCTE and AIU



शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम

सत्र : 2021-23

(दूरस्थ शिक्षामाध्यम द्वारा)

प्रवेश परीक्षा निर्देशिका

[बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑन -लाइन ही भरा जायेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जायेगा ऑन -लाइन बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार के संलग्नक की आवश्यकता नहीं है मूल दस्तावेजों की जाँच काउन्सलिंग के समय होगी आवेदक अपनी योग्यता एवं वर्ग की पात्रता सुनिश्चित करके ही फॉर्म भरे]

स्नातक शिक्षा (बी.एड.) संबंधी मान्यता आदेश

यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के उत्तर क्षेत्रीय समिति (NRC-NCTE), जयपुर से मान्यता प्राप्त है। इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करने हेतु NRC-NCTE, जयपुर ने मान्यता आदेश संख्या : F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E)/2000/9745 के तहत दिनांक 21.8.2000 को स्थायी मान्यता आदेश जारी किया। तथा यू.जी.सी. ने पत्र क्रमांक F.No.6-7/2018(DEB-III) दिनांक 18.10.2018 द्वारा मान्यता को जारी रखा है। इस पाठ्यक्रम में कुल सीटों की संख्या 500 है।

Toll Free: 1800 – 180 – 6166

Phone: 0744-2797000, Fax No.:07442472525

E-mail: soe@vmou.ac.in , info@vmou.ac.in

Website: www.vmou.ac.in

प्रो. (डॉ.) आर. एल. गोदारा
कुलपति

श्री एस० डी० मीणा कुलसचिव	प्रो. बी. अरुण कुमार निदेशक (संकाय)	डॉ. अनिल कुमार जैन निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
शिक्षा विद्यापीठ संकाय सदस्य		
डॉ अनिल कुमार जैन , (सहआचार्य)	9414024778	akjain@vmou.ac.in
डॉ कीर्ति सिंह (सहायक आचार्य)	9414024810	keertisingh@vmou.ac.in
डॉ.पतंजलि मिश्र(सहायक आचार्य)	9414024795	pmisra@vmou.ac.in
डॉ.अखिलेश कुमार(सहायक आचार्य)	9414026390	akumar@vmou.ac.in

पाठ्यक्रम मान्यता सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा राज्य सरकार के अधिनियम 1987 नं.35—1987 के अन्तर्गत स्थापित है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश है।
- यह विश्वविद्यालय यूजीसी के सेक्शन 12—बी के अन्तर्गत देश का एक मान्यता प्राप्त खुला विश्वविद्यालय है। (यू.जी.सी.पत्र संख्या एफ—5—11/87 सी.पी.पी. दिनांक 30 मार्च, 1989)
- यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जा रहे सभी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि अन्य सभी विश्वविद्यालयों के समकक्ष स्वीकृत हैं। (EV/II(80)90/17630 दिनांक 28 फरवरी 1991)
- यह बी.एड. कार्यक्रम NCTE से स्थायी मान्यता प्राप्त है। मान्यता क्रमांक :F-3/RJ-22/B.Ed. (D.E)/9145/2000 Dated: 21.8.2000 यू.जी.सी. ने पत्र क्रमांक F.No.6-7/2018 (DEB-III) दिनांक 18.10.2018 द्वारा मान्यता को जारी रखा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के परिपत्र F-I-52/2000(CPP-II) दिनांक 2 नवंबर, 2004 के अनुसार यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 सेक्शन 22(I) के अनुसार यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार के सर्टिफिकेट , डिप्लोमा और डिग्री देने के लिए अधिकृत है | यू. जी. सी. के अनुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा मुक्त/ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान किये गए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री परम्परागत विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के समकक्ष माने जायेंगे| मान्यता संबंधित आवश्यक सभी प्रपत्र www.vmou.ac.in पर उपलब्ध है।

बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता संबंधी पत्र

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION IV

F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E)/2000/9745

Dated: 21.8.2000

RECOGNITION ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act 1993, **the Northern Regional Committee grants recognition to Kota Open University, Rawatbhata Road, Rajasthan for B.Ed. Distance Education two years from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 500 (Five Hundred) students** subject to fulfilling the following condition:

1. All such teachers already appointed who do not fulfill the NCTE norms shall acquire the qualification as per the norms within a period of two years of this order.
2. The institution shall ensure library, laboratories and other institutional infrastructure as per NCTE norms.
3. The admission to the approved courses shall be given only to those candidates, who are eligible as per the regulation governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/ State Government.
4. Tuition fees and other fees shall be charged from the students as per the norms of the affiliating university/ State Government till such time NCTE regulation in respect of fee structure come into force.
5. Curriculum transaction, including practical work/ activities should be organized as per the norms and standards for the course and the requirement of the affiliating university/ examining body.
6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
7. The institution, if unaided shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
8. The institution shall continue to fulfill the norms laid down under the regulation of the NCTE and submit the Regional committee the Annual report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal should inter alia give the extent of compliance of the condition indicated at 1 to 7 above.

If Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota Rajasthan contravenes the provision of the NCTE Act or the rules, regulation and orders made or issued there under or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provision of Section 17(I) of the NCTE Act.

By order,
Sd.
Regional Director

The Manager
Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110054

Copy to:

1. Secretary, Department of Secondary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. Education Secretary, Higher Education, Govt of Rajasthan, Jaipur
3. Education Secretary, Secondary Education, Govt of Rajasthan, Secretariat, Jaipur
4. Registrar, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
5. Director, Distance Education Council (IGNOU), 76, Hauz Khas, New Delhi-110016
6. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, New Delhi- 110016
7. The Head, Department of Education, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
8. Computer Cell (NRC)

Sd.
Regional Director

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय : एक परिचय

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में राजस्थान राज्य सरकार शासन अधिनियम संख्या 35 - 1987 द्वारा इस उद्देश्य से की गयी कि तमाम ज्ञान और कला-कौशल की 'स्वयं सीख पाने' की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। आरम्भ में इस विश्वविद्यालय को कोटा खुला विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। 21 सितम्बर, 2002 से इसका नाम बदलकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय किया गया। विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कभी भी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाय। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नये द्वार खुल सकें। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से स्त्रियों, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक जा पहुँची है। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संगठनों से सहमति अनुबन्ध पत्र (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित करके व्यवस्था की गयी है कि तमाम ज्ञान और संसाधनों का जनहित में मिलजुल कर उपयोग किया जा सके। विश्वविद्यालय का मूल चिन्तन है कि विकास के सभी महत्वपूर्ण कारकों को गुणकारी उच्च शिक्षा द्वारा प्रतिष्ठित कर राज्य ही नहीं देश की सेवा में लाया जा सके। विश्वविद्यालय ने 7 क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थापित किये गए हैं। जहाँ से सम्बद्ध लगभग 82 अध्ययन केन्द्रों द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें बी.एड. कार्यक्रम हेतु 10 अध्ययन केन्द्र कार्यरत हैं।

शिक्षा विद्यापीठ :

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के सतत शिक्षा विद्यापीठ के अंतर्गत शिक्षा विभाग को क्रमोन्नत कर वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय के पांचवें विद्यापीठ के रूप में 'शिक्षा विद्यापीठ (School of Education)' को वैधानिक स्वीकृति मिली। शिक्षा विद्यापीठ, विश्वविद्यालय की स्थापना से ही विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं प्रकृति के संपोषणीय विकास व एक नागरिक तथा ज्ञान समाज के निर्माण हेतु व अधिकाधिक शिक्षकों व शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सदैव प्रयत्न करता रहा है। शिक्षा विद्यापीठ ने अपने उपयोगी पाठ्यक्रमों में पौर्वात्य एवं पाश्चात्य शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान की परंपरा का कुशल समायोजन किया है। शिक्षा विद्यापीठ के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है :-

1. शिक्षा में विद्या वारिधि (पीएच.डी.)
2. विशिष्ट शिक्षा में विद्या वारिधि (पीएच.डी.)
3. शिक्षा में स्नातकोत्तर [कला (एम.ए. एजुकेशन)]
4. मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर
5. स्नातक शिक्षा (बी.एड.)
6. स्नातक [कला (शिक्षा एक विषय के रूप में)]
7. स्नातक [कला (मनोविज्ञान एक विषय के रूप में)]
8. स्नातक [कला एडीशनल (शिक्षा)]
9. स्नातक [कला एडीशनल(मनोविज्ञान)]

प्रमुख अनुदेशन सेवाएँ:

१. मुद्रित अनुदेशन सामग्री, २. परामर्श सत्र, ३. विशेष परामर्श सत्र, ४. प्रायोगिक सत्र, ५. वेब रेडियो, ६. ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, ७. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा, ८. ईमेल संवादसेवा, ९. दूरभाष सेवा, १०. मूडल आधारित अनुदेशन, ११. ग्रंथालय, १२. ई-लाइब्रेरी

नोट: शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार की गयी यह कार्यक्रम विवरणिका अति संक्षिप्त है। इस विवरणिका में केवल बी.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बंधित विशिष्ट तथ्यों का ही विवरण है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली मूल विवरणिका (जो ऑनलाइन उपलब्ध है) में सभी पाठ्यक्रमों से सम्बंधित सामान्य नियमों (प्रवेश से लेकर परीक्षा तक) का वर्णन है जो इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों पर भी लागू होगा।

शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा निर्देशिका
Bachelor of Education (B.Ed.) Entrance Examination Guidelines

[बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑन-लाइन ही भरा जायेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जायेगा]

[Only online Application form would be accepted for B.Ed. Entrance Examination. Offline or hard copy of the application form will not be accepted in any circumstances.]

(प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे कार्यालय समय सुबह 10.00 से सायं 5.00 के मध्य ही संपर्क करें)

क्र.सं.	बी.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बंधित स्पष्टीकरण हेतु सम्बंधित संपर्क सूत्रों के नाम	संपर्क सूत्र
	कॉल सेंटर	0744-2797 000
ऑन लाइन फार्म भरते समय यदि कोई तकनीकी समस्या आये तो निम्न से सम्पर्क करें -		
	श्री सौरभ पाण्डे	0744-2797 340, 355
	श्री अंतिम जैन	0744-2797 340,
शिक्षा विद्यापीठ संकाय सदस्य (योग्यता संबंधी / शिक्षण अनुभव संबंधी स्पष्टीकरण हेतु)		
	डॉ कीर्ति सिंह (संयोजक शिक्षा)	9414024810
	डॉ पतंजलि मिश्र	9414024795
	डॉ अखिलेश कुमार	9414026390
	डॉ अनिल कुमार जैन (निदेशक शिक्षा विद्यापीठ)	9414024778
क्षेत्रीय केन्द्रों के नाम एवं सम्पर्क सूत्र		
	क्षेत्रीय केंद्र, कोटा	0744-2473517, 9414024934
	क्षेत्रीय केंद्र, उदयपुर	0294-2417149, 9414024836
	क्षेत्रीय केंद्र, भरतपुर	05644-234054, 05644-234055
	क्षेत्रीय केंद्र, जोधपुर	0291-2730665, 9414024834
	क्षेत्रीय केंद्र, जयपुर	9414024954, 0141-2705965
	क्षेत्रीय केंद्र, बीकानेर	0151-2250758, 0151-2250768
	क्षेत्रीय केंद्र, अजमेर	0145-2421409, 0145-2622852

बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी

[बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑन-लाइन ही भरा जायेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जायेगा]

ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरने की आरंभिक तिथि : 08-03-2021
ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि : 22-04-2021
प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि व समय : 23-05-2021 (प्रातः 9.00 से दोपहर 12.00 बजे तक)
प्रवेश परीक्षा आवेदन केवल ऑन लाइन ही भरा जायेगा किसी भी परिस्थिति में ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बी.एड. प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र (**Admit Card**) भी परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पहले केवल ऑन लाइन ही उपलब्ध होगा।

प्रवेश परीक्षा शुल्क : 1000 रूपये (ई-मित्र / नेट बैंकिंग के माध्यम से)

योग्यता : ऐसे सेवारत प्राइमरी शिक्षक जो निम्नलिखित तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हों:-

1. किसी राजकीय/गैर राजकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 अथवा कक्षा 1 से 8) को पढ़ाने वाले अध्यापक हों।
2. जिन्होंने नियमित रीति से बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) इत्यादि समकक्ष* द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ हो।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर (कला/विज्ञान/वाणिज्य) परीक्षा सामान्य वर्ग न्यूनतम 50 प्रतिशत, बी.टेक स्नातक (विज्ञान गणित विशेषज्ञता के साथ) सामान्य वर्ग न्यूनतम 55 प्रतिशत से उत्तीर्ण हों।

राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर), द्विव्यांग तथा विधवा एवं तलाकशुद्धा महिला अभ्यर्थियों को उक्त स्नातक/स्नातकोत्तर अर्हता प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

नोट -

1. *यहां समकक्ष से तात्पर्य शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष की पूर्ण अवधि का नियमित रीति से किया हुआ होना चाहिए तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इससे कम अवधि के लिए हुए पाठ्यक्रम के आधार पर किसी राज्य सरकार ने प्रार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति दे दी हो तो भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्षीय बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) के समकक्ष है। प्रार्थी स्वयं उस पाठ्यक्रम की अवधि तथा बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) का एनसीटीई से मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही प्रवेश परीक्षा फार्म भरें तथा चयन होने पर काउन्सलिंग के समय उसे प्रस्तुत करना होगा।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) की अंकतालिका/प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र और परिणाम घोषणा की तिथि में 2-3 माह से ज्यादा का अन्तर हो तो प्रार्थी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का नियमित रीति से पूर्ण करने का शिक्षण सत्र क्या है? ऐसा विद्यार्थी अपनी संस्थान से जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र अथवा चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखवा कर प्राप्त करे। तभी प्रवेश आवेदन पत्र भरे। इस मूल प्रमाण पत्र को काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करे।

नोट:- शिक्षण अनुभव में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है, लेकिन पूरी बी.एड. के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी परिविक्षा काल के दौरान आवेदन कर रहा है तो विभाग से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। विभाग उसे किन्हीं शर्तों पर स्वीकृति देता है और बी0एड0 अवधि में नियत समय पर यदि कोई घटक पूर्ण नहीं कर पाता है तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बी0एड0 के दोनों वर्षों के संभावित कलेण्डर में उल्लेखित तिथियों में किसी कारणवश परिवर्तन हो तो यह विद्यार्थियों को मान्य होगा।

नोट -

1. वही विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करे जिनका स्नातक में वांछित प्रतिशत (सामान्य वर्ग 50 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग 45 प्रतिशत) नहीं है और स्नातकोत्तर में यह वांछित प्रतिशत है।

2. यदि किसी विद्यार्थी ने दो विषयों में स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें (जिससे संबंधित शिक्षण विषय बी.एड. में लेना है।)
3. जिन विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंक तालिका में CGPA ग्रेड मिला है वे अपने विश्वविद्यालय से उस ग्रेड को प्रतिशत में बदलवा कर प्रेषित करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करें।

पाठ्यक्रम अवधि : न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष
 क्रेडिट : 75

पाठ्यक्रम शुल्क :

प्रथम वर्ष शुल्क: 26,880 रूपये अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन राशि दोनों में से जो भी अधिक है | (प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त वरीयता सूची में आने पर काउंसिलिंग के दौरान पात्र होने की स्थिति में मुख्यालय कोटा पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बैंक चालान द्वारा जमा किया जाएगा।

द्वितीय वर्ष शुल्क: 26,880 रूपये अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राशि दोनों में से जो भी अधिक हो।

प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरान्त द्वितीय वर्ष के जुलाई/अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में ऑन लाइन फार्म भरते समय द्वितीय वर्ष का शुल्क लिया जायेगा शुल्क ई-मित्र/ नेट बैंकिंग द्वारा भरा जा सकेगा। चाहे प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आये या न आये। आपको द्वितीय वर्ष का प्रमोटी फार्म आवश्यक रूप से भरना है।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र :

यह पाठ्यक्रम प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 अथवा 1 से 8) को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है इसलिए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना आवश्यक है, जिसके सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसिलिंग के समय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा | अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव प्रवेश परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि अथवा उसके पूर्व से होना चाहिए अर्थात् आवेदक प्रवेश परीक्षा आवेदन करने से लेकर निरन्तर अध्यापक होना चाहिए। **शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता नहीं है।** शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म भरते समय बनवायें और यदि चयन हो जाये तो काउंसिलिंग के समय उपस्थित होने पर भी पुनः बनवायें। अभ्यर्थी को शिक्षण अनुभव से सम्बंधित तथ्यों को आवेदन पत्र में ऑन-लाइन भरना होगा जिसे प्रवेश काउंसिलिंग के समय अनुभव प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा | ध्यातव्य हो कि शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे प्रवेश काउंसिलिंग के समय मूल दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरते समय इसकी जाँच अवश्य कर लें। लापरवाही या भूलवश की गई कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापन अनुभव होना आवश्यक है। प्राइमरी अध्यापक के अलावा अन्य किसी भी पद पर कार्यरत रहते हुए अगर शैक्षणिक अनुभव है तो वह मान्य नहीं होगा साथ ही वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत होना भी आवश्यक है।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाये:

प्रवेश काउंसिलिंग के समय विवरणिका में जिस प्रकार का प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्य किसी भी प्रकार के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र में दिए गए स्थानों पर सही जानकारी साफ सुथरी भरी या लिखी जानी आवश्यक है। किसी भी प्रकार की ओवराईटिंग या काट छांट वाला प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। वह संस्था प्रधान से सत्यापित (तिथि के साथ) एवं विद्यालय जावक क्रमांक एवं तिथि अंकित किया हुआ होना चाहिए। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी को उस विद्यालय की राज्य/केंद्र सरकार से मान्यता पंजीकरण संख्या मय दिनांक भरना आवश्यक है।

3. निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी /ब्लाक शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी) से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। तथा उस कार्यालय के जावक क्रमांक भी इंगित होना चाहिए।
4. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।
5. वे अभ्यर्थी जो राजस्थान राज्य से बाहर किसी राज्य/केन्द्र सरकार के किसी विद्यालय में कार्यरत हैं वे अपने शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवा कर मय जावक क्रमांक के प्रस्तुत करें तथा अपना नियुक्ति पत्र एवं इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से बनवाकर लायेंगे कि यदि उनका इस विश्वविद्यालय की बी.एड.कार्यक्रम में प्रवेश हो जाता है तो वे अवकाश लेकर इण्टर्नशीप, प्रेक्टिस टिचिंग, फाइनल लेसन इत्यादि लगभग 6 माह के कार्य राजस्थान राज्य के विद्यालयों में करेंगे और उनके विद्यालय/विभाग को इस हेतु कोई आपत्ति नहीं होगी। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हें काउन्सिल के समय प्रस्तुत करना होगा | द्वितीय वर्ष इंटरशीप कार्य को राजस्थान में करने हेतु अपने विभाग से 6 माह के अवकाश की स्वीकृति काउंसलिंग के समय ही प्रस्तुत करनी होगी | प्रथम वर्ष के 144 घंटे का सत्र पर्यंत बटा हुआ प्रायोगिक कार्य भी राजस्थान के स्कूलों में ही करना होगा | अतः इन्हें हिदायत दी जाती है की वे अपने विभाग/विद्यालय से पूर्ण रूप से अवकाश मिलने की स्थिति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र के मिलने की स्थिति में ही बी.एड. प्रवेश फार्म भरो। उपरोक्त सभी के अभाव में काउंसलिंग के समय उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
6. यदि किसी अभ्यर्थी अथवा रक्षाकर्मी ने राजस्थान राज्य से बाहर का शिक्षण प्रमाण पत्र (BSTC/D.El.Ed.) नाम के अलावा नाम से कर रखा है तो वह उस संस्थान से इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष होना, पाठ्यक्रम नियमित रीति से होना तथा NCTE से मान्यता प्राप्त होना तीनों का उल्लेख किया हुआ प्रमाण जारी करवा कर प्रस्तुत करो। इसे प्रवेश परीक्षा का फार्म भरने से पूर्व ही जारी करवा लें अन्यथा काउंसलिंग के समय वे बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा) हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्रवेश आरक्षण नीति:

1. आरक्षण नियमों का पालन राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा।
2. बी.एड. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का चयन वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा। विदित हो कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण का लाभ केवल ऐसे आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है तथा वे NCTE मानदण्डानुसार इस परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हों | बी.एड. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों के आधार पर आरक्षण देते हुए वरीयता सूची बनाई जाएगी।
3. कश्मीरी विस्थापितों के लिए नियमानुसार उपलब्ध सीटों में आरक्षित वर्ग की सीटों के अतिरिक्त एक सीट आरक्षित रहेगी। (कश्मीरी विस्थापितों के लिए भी एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।)
4. जो अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित क्षेत्र) S.T. (SA) से आते हैं वे अपने निर्धारित आरक्षण प्रमाण पत्र में इस आशय का उल्लेख अवश्य करवाये ताकि वह उनके लिए निर्धारित कोटे का आरक्षण लाभ ले सके और ऑन लाइन फॉर्म भरते समय उल्लेख अवश्य करें। तथा प्रवेश परीक्षा के दिन OMR शीट पर भी काले गोले द्वारा दर्शायें।
5. सेवारत/ सेवामुक्त/ सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी के लिए राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। बशर्ते वे NCTE मानदण्डानुसार इस परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हों।

इस हेतु उन्हें रक्षाकर्मी/यूनिट मेजर /सचिव, सैनिक बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में इस श्रेणी के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

6. राज्य के बाहर की महिला के राजस्थान में विवाह होने पर उसके पति का निवास स्थान यदि राजस्थान में है तो विवाहित का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान माना जा सकता है बशर्ते पति के राजस्थान में बोनाफाइड निवास का प्रमाण पत्र पेश किया जाए तथा साथ ही विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त बोनाफाइड निवास का प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो परीक्षा में बैठने के लिए भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाए।
7. यदि किसी महिला अभ्यर्थी का विवाह राजस्थान से बाहर किसी अन्य राज्य में हुआ है लेकिन वह शिक्षक के रूप में राजस्थान के किसी राजकीय विद्यालय में कार्यरत है तो आरक्षित वर्ग का लाभ लेने के लिए उसे राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय ही इसे बनवा कर फार्म भेरो।

आरक्षण का लाभ ले रहे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर लें:—

1. वह आवेदक जो एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (नान क्रीमीलेयर)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी. (नान क्रीमीलेयर) / एस.टी. - (अनुसूचित क्षेत्र), / EWS वर्गों से होंगे उन्हें जिला दण्ड अधिकारी/उपजिला जिलादण्ड अधिकारी/तहसीलदार के द्वारा अथवा उस प्रमाण पत्र के लिये निर्धारित सक्षम अधिकारी से मान्य प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र .बी.एड. प्रवेश परीक्षा परिणाम के काउंसिलिंग के समय तक मान्य होना चाहिए। विदित हो कि ओ.बी.सी. / एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी. (Non Creamy layer) का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय से एक वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। यदि इससे पूर्व का है तो आवेदन करते समय ही OBC का प्रमाण पत्र बनवा लें। प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय तथा काउन्सिलिंग के समय प्रार्थी OBC (Non Creamy layer) में होना आवश्यक है।
2. तलाकशुदा महिला आवेदकों को न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। विधवा आवेदकों को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका से हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना होगा।
3. विधवा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि मैं अभी भी विधवा/परित्यक्ता हूँ। मैंने पुनः विवाह नहीं किया है। विधवा संवर्ग के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं न्यायालय से जारी डिक्री की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें।
4. शारीरिक विकलांग आवेदकों को सम्बन्धित डी.एम.एच.ओ.के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ मेडिकल बोर्ड अथवा असमर्थता अंग संबंधी आंगिक विशेषज्ञ रीडर द्वारा हस्ताक्षरित या
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ असमर्थता अंग संबंधी आंगिक कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा वहाँ के सी.एम.एच.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित

B.Ed. ऑन लाईन फार्म भरते समय महत्वपूर्ण निर्देश

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा माध्यम से) के लिए 2014 मानदण्डानुसार एवं समय समय पर संशोधित आदेशों के अनुरूप योग्यता तय कर रखी है उसको पूरा करते हो तभी फार्म भरना प्रारंभ करें।

(दिखें इस विवरणिका का पृष्ठ संख्या 6) आन लाइन फार्म भरते समय आप यदि तीनों योग्यताओं में से किसी एक अथवा तीनों योग्यताओं संबंधी किसी कमी को छुपाते हुए प्रवेश फार्म भरते हैं, आरक्षित वर्ग के उचित प्रमाण पत्र के अभाव में फार्म भरते हैं तथा असत्य घोषणा (undertaking) करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका प्रवेश पत्र तो जारी हो जाएगा लेकिन मेरिट में आने पर काउन्सलिंग के समय मूल दस्तावेजों की जांच होने पर आपको प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। आन लाइन प्रवेश फार्म भरते समय आपको कोई दस्तावेज नहीं लगाने हैं, न ही कोई दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आप तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हों तथा आपके पास अपने आरक्षित वर्ग के होने का नवीनतम प्रमाण पत्र हो तो ही प्रवेश फार्म भरें।

नीचे ऑनलाइन फॉर्म के कुछ क्रम संख्याओं सम्बंधित आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं इन्हें पढ़ कर ही ऑनलाइन फॉर्म भरना आरम्भ करें -

क्र.सं. 3 Regional Centre: इस विवरणिका के पृष्ठ संख्या 5 पर लिखे हुए क्षेत्रीय केन्द्रों में से उस क्षेत्रीय केन्द्र का नाम भरें जो आपके निवास/नौकरी क्षेत्र में आता हों और जहाँ से आप प्रवेश परीक्षा देना चाहते हों। किसी भी स्थिति में प्रवेश परीक्षा केन्द्र परिवर्तन संभव नहीं होगा।

क्र.सं. 4 जन्म तिथि (Date of Birth) कक्षा दस की अंकतालिका/प्रमाण पत्र में जो तिथि लिखी है वहीं भरें काउन्सलिंग के समय इसका मूल प्रमाण पत्र बताना होगा।

क्र.सं. 6, 7, 8 स्वयं का नाम, माता का नाम, पिता का नाम कक्षा दस की अंक तालिका में जो दर्शाया गया है उसी के अनुरूप भरें। विवाहित महिला अभ्यर्थी का विवाह के पश्चात नाम/सर नेम बदला हो तो काउन्सलिंग के समय गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें तथा राज्य सरकार में यदि आपके बदले हुए नाम से नियुक्ति हुई हो तो वह नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करें।

क्र.सं. 17 Category: - SC/ST/OBC(Non Creamy Layer)/GEN/SBC or MBC(Non Creamy Layer)/ST(S.A.) /EWS आप जिस आरक्षित वर्ग से आते हैं तो इसका मूल प्रमाण पत्र बनवाकर ही प्रवेश फार्म भरें। परीक्षा के दिन OMR में आप जिस वर्ग से संबंधित हैं उस पर गोले को काला करें। S.C. = Scheduled Cast, S.T. = Scheduled Tribe, OBC = Other Backward Classes, SBC = Special Backward Classes, S.T.(S.A.) Schedule Tribe (Schedule Area अनुसूचित क्षेत्र) MBC = More Backward Classes, EWS = Economically Weaker Section वही अंतिम रूप से मान्य होगा।

क्र.सं. 18 Special Category: - Divorce/Widow/Army/Kashmiri migrant आप जिस विशिष्ट वर्ग में आते हैं उसका मूल प्रमाण पत्र बनाकर ही प्रवेश फार्म भरें। तथा परीक्षा के दिन OMR में उस पर गोला काला करें। वही अंतिम रूप से मान्य होगा।

क्र.सं. 23 Domicile of Rajasthan - हाँ /नहीं लिखे (यदि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं तो राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाकर ही फार्म भरें। राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।)

क्र.सं. 24 यदि आप वर्तमान में विद्यालयी कक्षाओं 1 से 5 अथवा 1 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक हो तो हाँ लिखें। तभी आप प्रवेश परीक्षा देने के पात्र हैं। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र विवरणिका में दिये हुए प्रारूप के अनुरूप बनाकर ही फार्म भरें।

क्र.सं. 25 Disability (PH & Category) - यदि आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो हाँ करें और निम्न पाँच में से जिस श्रेणी की दिव्यांगता में आते हैं उसको दर्शाएँ और उससे संबंधित वांछित प्रमाण पत्र बनवाकर ही फार्म भरें। पाँचों का पूर्ण रूप इस प्रकार है:- V.I.=Visually Impaired दृष्टि बाधित, H.I.=Hearing Impaired श्रवण बाधित, L.D.=Loco motor Disability गति विषयक दिव्यांगता, I.D.=Intellectually Disability बौद्धिक एवं अन्य अधिगम दिव्यांगता, M.D. = Multiple disability बहु दिव्यांगता

क्र.सं. 26 Annual Income: आपकी कुल वार्षिक आय जितनी हो यहां भरें। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय उसमें उसका उल्लेख करायें।

नोट: यदि आपने B.S.T.C./D.El.Ed. कार्यक्रम (दो वर्षीय) नियमित रीति से किया हो तो तभी फार्म आगे बढ़ेगा। यदि यह कार्यक्रम B.S.T.C./D.El.Ed. के अलावा किसी अन्य नाम से हो तो भी दो वर्षीय प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नियमित रीति से किया होना चाहिए एवं यह NCTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए तभी यह B.S.T.C./D.El.Ed. के समकक्ष माना जाएगा।

क्र.सं. 27 अपना आधार नं लिखें।

क्र.सं. 28 Whether belong to minority YES/NO. जो लागू हों वो भरें।

क्र.सं. 29 – Education Qualification:

- (i) नियमित रीति से किया B.S.T.C./D.El.Ed. अथवा इसके समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पूर्ण किया हो तो सारणी में उसका उल्लेख करें। आप यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रमाण पत्र पर Regular लिखा हुआ हो। यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो आपने जहाँ से यह पाठ्यक्रम किया है उस संस्थान से नियमित विद्यार्थी का प्रमाण पत्र बनवाकर ही परीक्षा फार्म भरें। तथा दोनों वर्ष की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र को काउंसलिंगके समय प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) स्नातक/स्नातकोत्तर में वांछित प्रतिशत से एक अंक भी कम नहीं होना चाहिए। वांछित पात्रता प्रतिशत स्नातक अथवा स्नातकोत्तर किसी भी एक में हो सकता है।
- (iii) यदि स्नातक में वांछित पात्रता प्रतिशत नहीं बन रहा हो तो ही स्नातकोत्तर का विवरण भरें।
- (iv) यदि स्नातकोत्तर दो या दो से अधिक विषय में कर रखा हो तो उसी एक स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें जिसको आपके बी.एड. में शिक्षण विषय के रूप में लेना चाहते हों।
- (v) यदि आपको स्नातक /स्नातकोत्तर की अंकतालिका में CGPA ग्रेड मिला है तो अपने विश्वविद्यालय से उस ग्रेड को प्रतिशत में बदलवाकर फार्म भरें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र काउंसलिंगके समय प्रस्तुत करें।

क्र.सं. 30 – Details of Teaching Experience:- आप वर्तमान में जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उसमें पढ़ाने की अवधि (वर्ष, माह एवं दिन) का उल्लेख करें। न्यूनतम दो वर्ष के शिक्षण अनुभव की बाध्यता नहीं है। केवल वर्तमान में अध्यापक होना चाहिए।

शिक्षण विषय चयन संबंधी निर्देश

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है। (आपका निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप शिक्षण विषय बन रहा हो तो ही प्रवेश परीक्षा का फार्म भरें)

- (i) **शिक्षण विषय** से अभिप्राय है ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु लिया हो यह विषय ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है, बशर्ते अभ्यर्थी ने इस विषय में कम से कम दो वर्षों तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय ने प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। **शिक्षण विषय** में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः अर्हताकारी विषय सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य शिक्षा/भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास/प्रारंभिक गणित आदि जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किये गये हैं या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ़ कर द्वितीयादि वर्षों में छोड़ दिया गया हो - शिक्षण विषय के रूप में नहीं माना जायेगा। ऑनर्स स्नातक के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय को भी माना जायेगा बशर्ते अभ्यर्थी ने उस विषय को न्यूनतम दो शिक्षा सत्रों तक पढ़ा हो और प्रत्येक सत्र के अंत में उसकी परीक्षा दी हो। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंकतालिका में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के प्राप्तांक एवं द्विवर्षीय स्नातक उपाधि की स्थिति में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्राप्तांक अलग अलग दर्शित किये जाकर इनका संकलन होना आवश्यक है।
- (ii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बी.ए. डिग्री इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र मनोविज्ञान और समाजशास्त्र इन विषयों में से किन्हीं दो विषयों को लेकर प्राप्त की है उन्हें बी.एड. परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान (social studies) विषय लेने की अनुमति होगी।
- (iii) कृषि स्नातकों को बी.एड. परीक्षा के लिये विज्ञान और जीव विज्ञान (Biology) विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान विषय लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए भी रहेगी जिन्होंने अपनी बी.एस.सी. डिग्री होम साइन्स विषय लेकर अथवा बी.एस.सी. परीक्षा 1. रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीवन विज्ञान (Life Science) का कोई विषय अर्थात् जीव विज्ञान (Biology) अथवा वनस्पति विज्ञान (Botany) अथवा जन्तु विज्ञान (Zoology) विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- (iv) जिस अभ्यर्थी ने बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है, वह बी.एड. परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने का पात्र होगा।
- (v) जहां किसी अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय से भिन्न एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनों विषय शाला शिक्षण विषय हो और अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहे तो उसके स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय दिया जा सकता है।
- (vi) वाणिज्य स्नातक 'अर्थशास्त्र' विषय नहीं ले सकता है।
- (vii) अभ्यर्थी जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ़ाये जाने वाले कोई दो विषय नियमानुसार नहीं बनते है वे बी.एड.प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं है। बी.बी.ए. /बी.सी.ए. /बी.ई./बी.एस.सी बॉयोटेक्नॉलोजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके नियमानुसार बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ़ाये जाने वाले विद्यालयी विषय नहीं बनते है वे भी बी.एड.प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं है।

आवेदकों के लिए ऑन-लाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश

- अभ्यर्थी को बी.एड. प्रवेश परीक्षा में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिए। आन लाइन प्रवेश परीक्षा फार्म भरते समय आपको कोई दस्तावेज नहीं लगाने हैं, न ही विश्वविद्यालय द्वारा इसकी कोई जाँच की जाती है। गलत जानकारी/सूचना देने पर प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा यह आपकी बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश का दावा सुनिश्चित नहीं करता। जब आप प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर मेरिट में आने पर काउन्सिलिंग के लिए बुलाये जायेंगे उस समय आपके सभी मूल दस्तावेज जाँचे जाएंगे उस समय कोई गलत जानकारी पायी गयी तो आपको बी.एड. में प्रवेश नहीं मिलेगा। अतः वे ही अभ्यर्थी बी.एड. प्रवेश परीक्षा फार्म भरें जो इसकी पात्रता रखते हों।

- एकल बैठक परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चाहे उन्होंने बाद में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण क्यों न कर ली हो बी.एड. प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं है। इस प्रकार 10+2+3 या 10+1+3 परीक्षा पद्धति से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी बी.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र नहीं है।
- आवेदक के प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार है कि वह आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच करें। किसी भी समय दोषी पाए जाने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त किया जाएगा व फीस जब्त कर ली जाएगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया जायेगा ना ही उन पर किसी प्रकार का पत्र व्यवहार किया जायेगा। अतः आप सावधानीपूर्वक ऑन-लाइन आवेदन करें।
- बी.एड. प्रवेश परीक्षा की फीस किसी भी हालात में वापिस नहीं की जाएगी।
- विज्ञापन के पश्चात् भी यदि NCTE द्वारा योग्यता/पात्रता सम्बन्धी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के नियमों में बदलाव किया जाता है तो वह विद्यार्थी को मान्य होगा। ऐसी किसी भी स्थिति में प्रवेश परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जाएगा।
- वे अभ्यर्थी जो कश्मीरी विस्थापित है और वर्तमान में प्राइमरी (कक्षा 1 से 5 अथवा 1 से 8) विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत है वे कश्मीरी विस्थापित का सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें लेकिन उन्हें एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करना आवश्यक है।
- वे अभ्यर्थी जो सेवारत/ सेवामुक्त/ सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी हैं और वर्तमान में प्राइमरी (कक्षा 1 से 5 अथवा 1 से 8) विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत है वे सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें लेकिन उन्हें एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करना आवश्यक है। उनका B.S.T.C./D.El.Ed. प्रमाण पत्र किसी अन्य नाम से है तो उसकी अवधि दो वर्षीय होनी चाहिए। उसे नियमित रीति से उत्तीर्ण किया हो तथा वह NCTE से मान्यता प्राप्त हो। रक्षाकर्मी इस आशय का प्रमाण पत्र उस संस्थान से प्राप्त करके ही प्रवेश परीक्षा फार्म भरे। चाहे कम अवधि के प्रमाण पत्र के आधार पर किसी राज्य सरकार ने रक्षाकर्मी को तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में नियुक्ति दे दी हो लेकिन वह NCTE द्वारा निर्धारित नियमित रीति से की हुई दो वर्षीय B.S.T.C./D.El.Ed. की निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करने के अभाव में बी0एड0 (ODL) की इस प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र नहीं है।

बी.एड. प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

- प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता है। परंतु निम्नलिखित क्षेत्रों के आधार पर आवेदक की लिखित परीक्षा के माध्यम से उनकी अभिक्षमता की जाँच की जाएगी।
- बी.एड. प्रवेश परीक्षा में कुल पांच भाग होंगे।
 - a) मानसिक योग्यता (Mental ability)
 - b) शिक्षण अभिक्षमता (Teacher Aptitude)
 - c) सामान्य ज्ञान (General Awareness)
 - d) हिन्दी भाषा दक्षता (Language Proficiency (Hindi))
 - e) अंग्रेजी भाषा दक्षता Language proficiency (English)
- प्रश्न पत्र OMR सीट आधारित होगा। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर चुनकर (a,b,c,d में से कोई एक) प्रश्न संख्या के सामने दिए गए खाली स्थान (गोले) में भरा जायेगा। सही चुनाव को काला या नीला बाल पेन द्वारा गाढ़ा कर दिया जाएगा। एक बार भरे हुए गोले को

बदलने का अधिकार नहीं होगा न ही वाइटर के प्रयोग का अधिकार होगा। ऐसा करने पर वह प्रश्न निरस्त माना जाएगा। यदि एक से अधिक गोले भरे हुए तो भी प्रश्न निरस्त माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के सामने बने चार गोलों में से एक में सही उत्तर के अलावा कोई धब्बा या निशान/डाट गलती से भी नहीं होने दें। स्केन मशीन ऐसी परिस्थिति में इसे दो उत्तर मानते हुए आपके उत्तर को निरस्त कर देगी। प्रत्येक प्रश्न के सामने बने चार गोलों में एक सही विकल्प का गोला ही पूर्ण रूप से काला/नीला करें।

- प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिन्दी दोनों माध्यमों में होगा। (भाषा संबंधी प्रश्नों को छोड़कर)।
- प्रवेश परीक्षा की अवधि तीन घंटे (3 घंटा) की होगी।
- प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और प्रश्न पत्र कुल 450 अंकों का होगा।
- प्रत्येक भाग में 30 प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र में कुल पांच भाग होंगे अतः कुल 150 प्रश्न होंगे।
- सही उत्तर के पूरे 3 अंक दिये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जायेगा।

The question paper shall consist of the following

Section A

Mental ability test shall consist of 30 objectives type (Multiple choices) question to test the following abilities:

- (i) Reasoning
- (ii) Imagination
- (iii) Judgment & Decision Making
- (iv) Creative Thinking
- (v) Generalization
- (vi) Drawing Inferences etc

Section B

Teacher Attitude and Aptitude shall consist of 30 objectives type (Multiple choices) question to test the following abilities:

1. Teaching profession
2. Teaching learning process – learner and teacher
3. Social involvement
4. Experimentations & Innovations pertaining to school activities
5. Professional Ethics etc.
6. Teacher abilities such as kindness, co-cooperativeness, patience, fairness, wide interest, discipline Enthusiasm & optimism

Section C:

General Awareness shall consist of 30 objectives type (Multiple choices) question to test the following abilities:

1. Current (National & International) affairs
2. Indian History & Culture
3. India and its natural resources
4. Great Indian Personalities (Past and Present)

5. Environmental awareness
6. Awareness about Rajasthan

Section D

Language Proficiency (Hindi) consist of 30 objectives type (Multiple choice) question reading proficiency in Hindi language related to the following aspects:

- (i) Spelling
- (ii) Sentence structures (Simple & Compound)
- (iii) Comprehension/Unseen Passage
- (iv) Functional Grammar
- (v) Vocabulary
- (vi) Correct Language usage

Section E:

Language proficiency (English) consists of 30-Objective type (Multiple choices) question regarding proficiency in English related to the following aspects:

- (i) Spelling
- (ii) Sentence structures (Simple & Compound)
- (iii) Comprehension/Unseen Passage
- (iv) Functional Grammar
- (v) Vocabulary
- (vi) Correct Language usage

Sample Question Paper

Mental Ability (मानसिक योग्यता)

Q.1 If in a symbolic language PRACTICE is written PICCTRAE, how will FLAMES be written in that Language:

- (A) FEMALS (B) FALEMS (C) FMELAS (D) FALMES

यदि किसी सांकेतिक भाषा में PRACTICE को PICCTRAE लिखा जाता है तो उस भाषा में FLAMES को किस प्रकार लिखा जायेगा

- (A) FEMALS (B) FALEMS (C) FMELAS (D) FALMES

Q. 2 the blank space has been indicated as '?' Out of the four alternatives, only one alternative satisfies a special relationship which has been indicating after :- (sign.)

Select the right alternative

Sgm F: Emg X:: ?; Back

- (a) Kca C (b) Ack B (c) K Ca B (d) K ca C

रिक्त स्थान में प्रश्न चिन्ह ? लगा है जिसमें प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से केवल एक उस विशेष संबंध को संतुष्ट करता है जा प्रश्न में दिए गए :: (चिन्ह) के बाईं ओर लिखे दो पदों के बीच पाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर ढूंढिए।

Sgm F: Emg X :: ?; Back

- (a) Kca C (b) Ack B (c) K Ca B (d) K ca C

Q. 3 The blank spaces has been indicated as '?' Out of the four alternatives, only one satisfied a special relationship, which has been indicated after.

(sig.), Select the right alternative:

72: 110: : ? : 210

- (a) 132 (b) 156 (c) 90 (d) 182

रिक्त स्थानों में प्रश्न चिन्ह? लगा है जिसमें प्रश्न के नीचे दिए गए चार विकल्पों में से केवल एक उस विशेष संबंध को संतुष्ट करता है जो प्रश्न में दिए गए : : (चिन्ह) के बाईं और लिखे दो पदों के बीच पाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर ढूंढिये।

72: 110: : ? : 210

- (a) 132 (b) 156 (c) 90 (d) 182

शिक्षण अभिक्षमता Teacher Aptitude

Q. 1 Question in the classroom:

- (a) Clarifies the Subject matter (b) Is wastage of time
(c) Develops inactivity (d) Creates indiscipline

कक्षा में प्रश्न पूछने से

- (a) विषय वस्तु स्पष्ट होती है (b) निष्क्रियता आती है
(c) समय नष्ट होता है (d) अनुशासन भंग होता है

Q.2 while determining the aims of education maximum attentive should be paid to:

- (a) Society and nation (b) Individual and society
(c) Society and religion (d) Future of the individual

शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए

- (a) समाज और राष्ट्र (b) व्यक्ति और समाज (c) समाज और धर्म (d) व्यक्ति और भविष्य

Q. 3 Education develops:

- (a) Body (b) Intelligence (c) Personality (d) Knowledge

शिक्षा विकसित करती है -

- (a) शरीर (b) बुद्धि (c) व्यक्तित्व (d) ज्ञान

सामान्य ज्ञान General Knowledge

Q. 1 The capital of Russia is:

- (a) Leningard (b) Moscow (c) New York (d) New Delhi

रूस की राजधानी है -

- (a) लेनिनग्राद (b) मास्को (c) न्यूयार्क (d) नई दिल्ली

Q. 2 "Vijay Ghats" is associated with

- (a) Jawaharlal Nehru (b) Lal Bahadur Shastri
(c) Mahatma Gandhi (d) Indira Gandhi

विजयघाट का संबंध है

- (a) जवाहर लाल नेहरू (b) लाल बहादूर शास्त्री (c) महात्मा गांधी (d) इन्दिरा गांधी

Q. 3Smallest Continent is:

(a) Asia (b) Africa (c) Europe (d) Australia

सबसे छोटा महाद्वीप है -

(a) एशिया (b) अफ्रीका (c) यूरोप (d) आस्ट्रेलिया

भाषा प्रवीणता - हिन्दी

प्रश्न 1 : सूदास ने रचना की

(a) कामायनी (b) सूरसागर (c) रामचरित मानस (d) आंसू

प्रश्न 2 : गीत गोविन्द के रचियता थे -

(a) जयदेव (b) बिहारी (c) रसखान (d) रत्नाकर

प्रश्न 3 : बुद्धिमान शब्द का अर्थ है

(a) ज्ञानी (b) मेधावी (c) चतुर (d) कुशल

Language Proficiency – English

Every sentence given below has a blank space. Out of four words given, select the best word to fill up the blank space.

1. Children go to school in order to.....

(a) Teach (b) Play (c) Study (d) Educate

2. I have lost my purse. Can ISome money from you?

(a) Lend (b) Hire(c) Bring (d) Borrow

3. He has promised me to.....into the matter

(a) Look (b) Go (c) Consider (d) View

- अभ्यर्थी की सुविधा के लिए फार्म के साथ अलग से ओ.एम.आर. शीट का नमूना दिया जा रहा है। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि सभी विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर किस प्रकार भरा जाना है।
- आवेदक ध्यान रखें कि बी.एड. प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में ओ.एम.आर. शीट में जो भी श्रेणी /वर्ग/योग्यता भरेगा, अंतिम रूप से अभ्यर्थी की वही श्रेणी /वर्ग/योग्यता सत्य मानी जाएगी। (चाहे प्री.बी.एड. आन लाइन प्रवेश फार्म में उसने कोई भी श्रेणी /वर्ग/योग्यता भरी हो) यदि आवेदक एक से अधिक वर्ग का लाभ उठाना चाहता है-जैसे महिला/पुरुष/ एस.टी./एस.सी./ या अन्य तो वह जिन वर्गों में आता है उसे उन सभी वर्गों को ओ.एम.आर. शीट में चिन्हित करना होगा अन्यथा बाद में इस प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अन्य मदों की जानकारी के लिए भी अभ्यर्थी ने ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका में जिस गोले को काला किया है उसी सूचना को अंतिम मानकर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। चाहे उसने प्रवेश परीक्षा आन लाइन फार्म में कुछ भी जानकारी भरी हो। वाइटनर लगाकर बदला हुआ गोला मान्य नहीं होगा।
- प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न पर विवाद की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद (भाषा संबंधी प्रश्नों को छोड़कर) ही अंतिम माना जायेगा।
- परीक्षा उपरोक्त दिए गए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। किसी भी अभ्यर्थी जो परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट के बाद आयेगा उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- कोई अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने के आधा घंटे पहले परीक्षा हाल छोड़ना चाहते हैं तो अपनी OMR एवं प्रश्न पत्र पुस्तिका को छोड़कर जा सकता है। परीक्षा समाप्त होने पर विधार्थी अपनी OMR उत्तर तालिका की कार्बन कॉपी एवं प्रश्न पत्र पुस्तिका ले जा सकता है।
- प्रत्येक सीट पर प्रत्येक अभ्यर्थी का रोल नम्बर लिखा होगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वह अपने निर्धारित रोल नंबर पर ही बैठे। यदि अभ्यर्थी किसी अन्य सीट पर पाया जाता है तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा एवं केन्द्र अधीक्षक द्वारा उस पर दण्ड भी लगाया जा सकता है।
- किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, लॉग टेबल, केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य आपत्तिजनक सामग्री परीक्षा केन्द्र पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी उत्तर लिखने से पहले प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
- अतिरिक्त प्रश्न पुस्तिका किसी भी हालत में अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी।
- प्रश्न पत्र पुस्तिका प्राप्त के 10 मिनट के अन्दर अभ्यर्थी यह जाँच ले कि उसमें सभी प्रश्न क्रमवार हैं व उत्तर पुस्तिका संलग्न है। यदि ऐसी कोई परेशानी आती है तो अभ्यर्थी तुरंत निरीक्षक को सूचित करें।
- उत्तर लिखने से पूर्व अभ्यर्थी अपना रोल नम्बर, तिथि आदि को अपने प्रश्न पत्र व OMR आधारित उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करें। अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही प्रश्नवार अपने उत्तर को निर्धारित तरीके से चिन्हित करें अन्यथा OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी परीक्षा पुस्तिका में किसी भी स्थान पर अपना नाम ना लिखें तथा OMR उत्तर पुस्तिका पर किसी भी प्रकार का निशान न लगायें जिससे उसकी पहचान दर्शित हो। OMR उत्तर पुस्तिका को कहीं से मोड़े नहीं ना कोई अतिरिक्त निशान लगे
- परीक्षा समाप्त होते पर आप अपनी मूल OMR उत्तर पुस्तिका परिवेक्षक को जमा करा कर जाये केवल उसकी कार्बन कॉपी ले जा सकते हैं, एवं प्रश्न पत्र ले जा सकते हैं।
- अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में निरीक्षक की इजाजत के बिना अपना स्थान नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह अपनी उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को नहीं उपलब्ध करवाएगा। (चाहे वह रिक्त छोड़ी हुई हो।) इस नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में उसे दण्डित किया जा सकता है।
- परीक्षा के दौरान, अभ्यर्थी केन्द्रीय अधीक्षक के अनुशासन एवं नियंत्रण में रहेगा।
- यदि अभ्यर्थी निरीक्षक के द्वारा ऐसी स्थिति में बताया जाता है जिसमें वह किसी और अभ्यर्थी को फायदा पहुँचा रहा है, उसे केन्द्रीय अधीक्षक द्वारा निलम्बित कर दिया जाएगा।
- निरीक्षक, उड़न दस्ता और परीक्षा पर्यवेक्षक व अन्य निरीक्षकों द्वारा अभ्यर्थी को जांचा जा सकता है कि उसके पास किसी तरह का कोई अपत्तिजनक सामान तो नहीं है। यदि अभ्यर्थी के पास ऐसा कोई सामान मिलता है या अभ्यर्थी निरीक्षक द्वारा का विरोध करता है तो वह दण्ड का पात्र होगा।
- अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी आपत्तिजनक सामान का प्रयोग किए जाने पर उसे परीक्षा हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी बी.एड.प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता अगले दो सालों के लिए निरस्त कर दी जायेगी। केन्द्र अधीक्षक को पूर्ण अधिकार होगा कि अभ्यर्थी पर वह किस तरह की कार्यवाही करेगा। उसे सभी तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर नियुक्त अधिकारी को सौंपनी होगी, जिससे अभ्यर्थी पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- धूम्रपान व अन्य मादक पदार्थों का सेवन परीक्षा केन्द्र पर वर्जित होगा।

महत्वपूर्ण चेतावनी

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2021 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/- रुपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएँ हो सकती हैं।

- परीक्षा का परिणाम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के वेबसाइट www.vmou.ac.in द्वारा जारी किया जाएगा | परीक्षा परिणाम से संबंधित कोई भी पूछताछ दूभाष के माध्यम से परीक्षा केन्द्र, व.म.खु.वि., कोटा, द्वारा सुनी नहीं जायेगी।
- अभ्यर्थी ने जो भी जानकारी काले गोले द्वारा प्रवेश परीक्षा के दिन ओ.एम.आर. शीट में भरी होगी वही अंतिम मानी जाएगी। अतः अभ्यर्थी ओ.एम.आर. में गोले को काला करते समय अवश्य ध्यान रखें। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। परीक्षा परिणाम भी इसी जानकारी के आधार पर तैयार होगा बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- बी.एड. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को उनके द्वारा दिये गये मोबाइल न. पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा फिर भी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की website: www.vmou.ac.in को जून 2021 तृतीय सप्ताह से निरन्तर देखते रहना चाहिए जब तक कि परिणाम जारी न हो जाए। परिणाम काउन्सलिंग की कोई सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी।
- विद्यार्थी बी.एड. प्रवेश परीक्षा का Admit Card सुरक्षित रखे इसे काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है व सभी विवादों का निस्तारण मुख्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा पर ही होगा।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय जावक क्रमांक: -----

दिनांक: -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती -----

पुत्र श्री/पुत्री श्री ----- विद्यालय का नाम -----

----- दिनांक ----- से लगातार वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक (सहायक अध्यापक) पद पर स्थायी/ अस्थायी /परिविक्षा पर कार्यरत हैं। जो विद्यालय में कक्षा 1 से 5 / कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं। ये वेतन श्रृंखला में कुल मासिक वेतन रूपये प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय रूपये प्राप्त कर रहे हैं/करेंगे।

निम्नलिखित में से जो भी आपकी संस्था पर लागू हो उसके सामने (✓) सही का निशान लगायें। एवं आवश्यक जानकारी भरे।

1. यह विद्यालय राजकीय विद्यालय है जो राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। ()

अथवा

2. यह विद्यालय गैर राजकीय विद्यालय है जो राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ()

मान्यता प्राप्ति का वर्ष क्रमांक -----, -----, -----, दिनांक -----

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ की उपर्युक्त विवरण सही है।

जि.शि.अ.कार्यालय जावक क्रमांक: -----

दिनांक: -----

प्रतिहस्ताक्षर *
जिला शिक्षाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी (मय सील)
(पूरा नाम)

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान (मय सील)
(पूरा नाम)

* गैर राजकीय विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के विद्यालयों के अभ्यर्थी प्रति हस्ताक्षर करवायें।

नोट -

1. आवेदनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रवेश फार्म भरते समय एवं काउन्सलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढा रहा हो। तथा पूरी बी.एड. के दौरान भी अध्यापक रहना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय को जो भी सूचना चाहिए वो प्रारूप में दी गई है। यदि संलग्न प्रारूप में ही हस्ताक्षर नहीं हुए तो विश्वविद्यालय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को अनुपयुक्त मान कर अस्वीकार कर सकता है।
3. विवाहित महिला अभ्यर्थी का विवाह के पश्चात नाम/सर नेम बदला हो तो काउन्सलिंग के समय गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें अथवा राज्य सरकार में यदि आपके बदले हुए नाम से नियुक्ति हुई हो तो वह नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करें।
4. अभ्यर्थी इस अनुभव प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें तथा प्री. बी.एड. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रवेश काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें। अनुभव प्रमाण पत्र मूल हस्ताक्षर किया हुआ ही प्रस्तुत करें। तथा काउन्सलिंग के समय नया अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर भी लायें।
5. यदि एक से अधिक विद्यालयों में कार्यरत रहे हो तो और आप चाहे तो उन सबके अलग से प्रमाण पत्र बनवाकर संलग्न करें। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रारूप की पंक्ति संख्या 3 में "लगातार" शब्द के स्थान पर विद्यालय छोड़ने की दिनांक भी लिखें।
6. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।

OMR ANSWER SHEET ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक

उत्तर पत्रक भरने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों को अवश्य पढ़ लें। प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार भरें ● ना कि ☒ ☑ ● ●	Please read relevant instructions given below before filling the Answer Sheet. Mark Like : ● Not Like: ☒ ☑ ● ●
--	---

उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश	INSTRUCTIONS FOR ANSWERING
<ol style="list-style-type: none"> 1. नीले या काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। 2. प्रत्येक प्रश्न के लिये एक ही उत्तर अंकित किया जाना है। यदि आप एक से अधिक उत्तर अंकित करते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। 3. उत्तर अंकित करने के लिए सम्बन्धित एक ही वृत्त को पूर्णतया गहरा काला करें। 4. अपना उत्तर केवल उत्तर पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर ही अंकित करें। उत्तर पत्रक में कहीं अन्यत्र अंकन करने पर उसकी गणना नहीं की जायेगी। 5. उत्तर पत्रक पर कच्चा काम करना मना है। 6. अपना अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र कोड, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, प्रश्न पुस्तिका नम्बर इत्यादि को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों के अनुसरण करें। 7. आपको सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि आप OMR में पूर्व में दिए गए उत्तर को बदलने के लिए मिटाने या काटने या सफेद द्रव्य का उपयोग नहीं करेंगे। यदि इस निर्देश की अवहेलना की जाती है तो आपका परिणाम रोक जा सकता है या आपको परीक्षा में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 8. OMR शीट पर काले गोले द्वारा आपने जो जानकारी दर्ती है वही आंशिक रूप से मान्य होगी इसी आधार पर आपका परीक्षा परिणाम तैयार होगा। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use Blue or Black Ball Point Pen only. 2. For every question only one response is to be marked. If you mark more than one response it will be considered as wrong. 3. Completely darken the respective circle for your response. 4. Mark your response only in the space provided for that purpose. Response marked elsewhere will not be counted. 5. Rough work must not be done on the Answer Sheet. 6. Follow the example given below to mark your Roll Number, Exam. Centre Code, Question Booklet Series, Question Booklet No. etc. 7. Strict directions are hereby given to you to refrain from correction of your earlier marked answer in OMR by rubbing or scratching or using white fluid. In case of violation of this instruction, your result may not be processed or you may be declared disqualified in the exam. 8. The information given by you on OMR sheet with Darken Circle will be treated as final. Result will be Prepared according to these informations.

वर्ग शीर्षक रूप / Category Abbreviation
SC : Scheduled Caste/ अनुसूचित जाति
ST : Scheduled Tribe/ अनुसूचित जनजाति
ST (SA) : Scheduled Tribe (Scheduled Area)/ अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित क्षेत्र)
GEN. : General / सामान्य
O.B.C. : Other Back Ward Class / अन्य पिछड़ा वर्ग
S.B.C. : विशेष पिछड़ा वर्ग / Special Backward Class
M.B.C. : अति पिछड़ा वर्ग / More Backward Class
V.I. : Visually impaired / दृष्टि बाधिता
H.I. : Hearing impaired / श्रवण बाधिता
L. D. : Locomotor disability / गति विषयक दिव्यांगता
I. D. : Intellectual disability / बौद्धिक एवं अन्य अधिगम दिव्यांगता
M. D. : Multiple disability / बहु दिव्यांगता
E.W.S. : Economically Weaker Section/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग

ROLL NUMBER अनुक्रमांक					
8	5	0	5	8	2
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

EXAM. CENTRE CODE परीक्षा केन्द्र कोड			
1	9	3	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Q. BOOKLET SERIES प्रश्न पुस्तिका सीरीज	
B	
A	C
●	●